रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012020-215191
CG-DL-E-07012020-215191
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ((ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 2020/पौष 11, 1941
No. 08] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 1, 2020/ PAUSHA 11, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 01 जनवरी, 2020

का.आ. 08(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3688 (अ), तारीख 27 जुलाई, 2018, द्वारा एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 27 जुलाई, 2018, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, प्रारुप अधिसूचना के बारे में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, गल्फ ऑफ मन्नार मरिन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के रामानाथापुरम और तूतीकोरिन जिले में अक्षांश 8^{0}49'00"उ और 9^{0}15'00"उ और देशांतर 78^{0}11'30"पू और 79^{0}10'5"पू के बीच स्थित है और 560.00 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने जी.ओ. एमएस. सं. 962, वन और मत्स्यपालन विभाग तारीख 10 सितम्बर, 1986 द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 35 की उप-धारा (1) अधीन वन्यजीवों और पर्यावरण के संरक्षण के प्रयोजन से तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार में मरिन राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया जिसमें खाड़ी की ओर समुद्र की 3.5 गहराई और समुद्री की ओर 5 गहराई भी शामिल है;

और, 21 द्वीप जो गल्फ ऑफ मन्नार मरिन राष्ट्रीय उद्यान में मूंगा चट्टानों और बियर मैंग्रोव वनस्पति से घिरे हुए हैं, दक्षिण पूर्व में रामनद और तूतीकोरिन जिले के तटों से नीचे स्थित हैं;

और, भारत में गल्फ ऑफ मन्नार चार प्रमुख कौल-भित्ति पारिस्थितिकी प्रणालियों में से एक है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों के अन्तर्गत तमिलनाडु सरकार ने गल्फ ऑफ मन्नार मरिन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की है, जिसमें वर्ष 1986 में रामानाथापुरम और तूतीकोरिन के तटीय जिलों सहित 21 अपतटीय द्वीपों (2 जलमग्न सहित) और बंगाल की खाड़ी में आसपास के कोरल चट्टान प्रणाली शामिल हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरिन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य संरक्षण और प्रबंधन के माध्यम से मन्नार क्षेत्र की खाड़ी की समृद्ध समुद्री जैव विविधता को संरक्षित करना है;

और, गल्फ ऑफ मन्नार में मरिन वनस्पतियों और जीवजन्तुओं की समृद्ध विविधता है इनमें कोरल चट्टान, चट्टानी समुद्र तट, बलुआ समुद्र तट, मिट्टी की सपाट भूमि, नदी मुहाने, मैंग्रोव वन, समुद्री शैवाल और समुद्री घास के क्षेत्र जैसी पारिस्थितिकी प्रणाली शामिल हैं। इस पारिस्थितिकी प्रणाली में विविध जीवजन्तुओं और वनस्पतियों की विविधता का आश्रय है जिसमें दुर्लभ चैंक्ड, झींगा, समुद्री झींगा, पर्ल ऑयस्टर, व्हेल, डुगॉंग, कछुए, सीहार्सेस, समुद्री सांप, समुद्री ककड़ी, आदि शामिल हैं। गल्फ ऑफ मन्नार में पारिस्थितिकी प्रणाली की विविध प्रकृति अनेक महत्वपूर्ण प्रजातियों की विस्तृत विविधता को आश्रय प्रदान करती है जिसमें कोरल की 117 प्रजातियां, समुद्री घास की 13 प्रजातियां, क्रस्टेसियन की 641 प्रजातियां, मोलस्क की 731 प्रजातियां, फिन मछलियों की 441 प्रजातियां और ऋतु प्रवास मरिन स्तनधारियों जैसे व्हेल, डॉल्फ़िन, सूंस और कछुओं के अलावा सीवीड की 147 प्रजातियां शामिल है;

और, मैंग्रोव पर्यावासों में वनस्पतियों की 9 विभिन्न प्रजातियां हैं जो समुद्री पक्षी और समुद्री सांप सहित विभिन्न समुद्री जीवजन्तुओं को आश्रय प्रदान करता है। गल्फ ऑफ मन्नार में सेक्रेड चंक, *टर्बिनेलाप्यूरम चंक* और *पर्ल ऑयस्टर बेड* भी पाए जाते हैं। यहां लगभग दस पर्ल बैंक है। *पीनक्टाडा फ्रूकटा* पर्ल ऑयस्टर की मुख्य प्रजाति है। गल्फ ऑफ मन्नार को वनस्पति और जीवजन्तु की 4200 से अधिक प्रजातियों के साथ "जीवविज्ञानी स्वर्ग" के रूप में माना जाता था;

और, यह क्षेत्र भारतीय तट से अलग महत्वपूर्ण आखिरी आश्रय-स्थान है जहां अधिकांश लुप्तप्राय स्तनधारी, डुगोंग (*डुगोंग डुगन*) पाए जाते हैं। क्षेत्र में दुर्लभ और अद्वितीय बलानोग्लोसस भी है जो अकशेरुकी और कशेरुकी के बीच एक लिंक है। यह क्षेत्र कोरल द्वीपों से संबंधित अद्वितीय कोरल संरचनाओं, समुद्री शैल, मोलस्क और उष्णकटिबंधीय मछली से भी बहुत समृद्ध है। इस क्षेत्र में रसिक डॉलफिन भी दिखाई देते हैं;

और, राष्ट्रीय उद्यान मूल रूप से मरिन वनस्पतियों और जीवजंतुओं के संरक्षण के लिए है। वनस्पति के उदाहरण रोज़री पी (*एब्रस प्रेसीटोरियस*), वाटल्स (*अकाकिया नॉर्रिडा*), अम्ब्रेला थोर्न (*अकाकिया प्लानिफ्रोन*), नेटटल (*अकालीफा इंडिका*), प्रिकली चाफ फ्लॉवर (*आचार्येथेश एस्पेरा*), आदि हैं; जीवजंतु के उदाहरण सी कॉउ (*डुगोंग डुगोन*), रिसोस डॉल्फिन (*ग्रैम्पस ग्रिसेस*), बोतल नोस्ड डॉल्फिन (*तुर्सियोप्स ट्रंकेट्स*), चानेस ब्वाइट डॉल्फिन (*सोसा चिनेंसिस*) आदि हैं। राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की विविधता है जैसे ग्रेट एग्रेट (*आर्दिया अल्बा*), ग्रे हेरॉन (*ए. सिनेरेया*), पॉण्ड हेरॉन (*आर्दिया ग्रेई*), वेस्टर्न रीफ हेरॉन (*एग्रेटा ग्युलरिस*), आर्देओला स्ट्रियाटस (*आर्देओला स्ट्रैटस*), ग्रेटर फ्लेमिंगो (*फोनिकॉप्टर रोसेंस*), उत्तरी पिंटेल (*अनास एक्यूटा*), आदि;

और, राष्ट्रीय उद्यान में स्थानिक, दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियां हैं। गल्फ ऑफ मन्नार में स्थानिक प्रजातियां अर्थात् *बालनोग्लोसस, एनहलस एक्रोराइड* और *पेम्पीस एसिड्युला* शामिल हैं। अभयारण्य में लुप्तप्राय प्रजातियां सी कुकुमबर्स (*होलोथुरियन*), ग्रीन टर्टल (*चेलोनीया मादास*), हॉक्सबिल टर्टल (*एरेरमोचेलीज इम्ब्रिकेट*), ऑलिव रिडली टर्टल (*लेपिडोचेलीज ओलिविसे*), लॉगरहेड टर्टल (*केरेटा केरेटा*), लेदर बैक टर्टल (*डर्मोचेलीस कोरियासी*), सी हार्सेस (*सिगनाथिडे*), आदि विद्यमान है। दुर्लभ प्रजातियों के उदाहरण शॉर्ट फिनेड पायलट व्हेल (*ग्लोबिसफाला मैक्रोरिंचा*), रिसोस डॉल्फिन (*ग्रैम्पस ग्रिसस*), बोतल नोस्ड डॉल्फिन (*तुर्सियप्स ट्रंकेट्स*), चाइनिस व्हाइट डॉल्फिन (*सोसा चिनेन्सिस*), फाल्स किलर व्हेल (*स्यूडोआर्का क्रैसिडेन्स*), ब्राइड्स व्हेल (*बालेनोप्टेरा एडेनी*), आदि हैं। अभयारण्य में संकटापन्न प्रजातियों में सी कॉउ (*डुगोंग डुगन*) प्रजातियां अभिलिखित है;

और, मरिन राष्ट्रीय उद्यान और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई पर्यावास नहीं है। गल्फ ऑफ मन्नार मरिन राष्ट्रीय उद्यान तट के साथ लगभग 47 मत्स्य पालन ग्राम हैं जिनमें रामानाथापुरम जिला में 38 और तूतीकोरिन जिला में 9 ग्राम हैं। इन ग्रामों के मछुआरे पूरी तरह से अपनी आजीविका के लिए मत्स्य पालन पर निर्भर हैं। कुल मिलाकर इन ग्रामों में 150,000 से अधिक मछुआरे रहते हैं, जिनमें 40% से अधिक सक्रिय मछुआरे हैं। सदियों से गल्फ ऑफ मन्नार के तट पर रहने वाले कई हजार परिवारों के लिए तटवर्ती जल में मत्स्य संसाधनों का उपयोग एकमात्र व्यवसाय रहा है । वह तटीय और समुद्री पर्यावरण के साथ इस तरह की घनिष्ठता में रहे हैं कि उनके जीवन-शैली, संस्कृति और सामाजिक जीवन सभी समुद्र के चारों ओर केंद्रित है;

और, मछुआरिन ताजी मछली विपणन, सूखी मछली और शुद्ध मिश्रण जैसे संबद्ध क्रियकलापों में लगी हुई हैं। तट के साथ मत्स्यपालन से संबंधित व्यवसायों के अलावा, नमक निष्कर्षण में रोजगार के अवसर हैं, खासतौर पर तूतीकोरिन के पास खाड़ी के पश्चिमी भाग में, और पाल्मराह (टाडी) टैपिंग और कृषि श्रम में भी है। रामानाथापुरम जिला में आमतौर पर चटाई बनाने के साथ कुशल कार्य भी किया जाता है। तट से टॉडी टैपिंग और कृषि से अंतर्देशीय स्थानांतरित करना इस क्षेत्र में पर्यटन के संबंध में रामेश्वरम के पास प्रचलित छोटे व्यवसाय से संबंधित अवसरों के साथ प्रमुख व्यवसाय है;

और, गल्फ ऑफ मन्नार मरिन राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा की (1) उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरिन राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर **0.73 किलोमीटर से 5.57 किलोमीटर** तक विस्तारित क्षेत्र को गल्फ ऑफ मन्नार मरिन राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है), के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार गल्फ ऑफ मन्नार मरिन राष्ट्रीय उद्यान के चारों **0.73 किलोमीटर से 5.57 किलोमीटर** तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्रफल **720.89 वर्ग किलोमीटर** है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध II क-ड.** में है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमश: **उपाबंध III** की सारणी **क** और **ख** में दी गई है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई ग्राम नहीं है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग;

(xii) राजमार्ग; और

(xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों नदियों स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और सैरगाह के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन बने नियम, 2000 ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) और उसके संशोधनों के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को लागू करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट**.- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**.-जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित, प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:**- लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.**- (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषण करने वाले उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जाएंगी;

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे:-

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	आ. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें से जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।

9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
14.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।

19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुगधशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
20.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
23.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
24.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	विलवणीकरण संयंत्र।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	पोर्ट गतिविधियां (कार्गो हैंडलिंग/ रखरखाव ड्रेजिंग/ विस्तार)।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	मत्स्य पालन बंदरगाह।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
30.	मत्स्य पालन (प्रान्त संस्कृति)।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
31.	लवण-पटल।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
32.	अनुसंधान प्रतिष्ठान।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
33.	समुद्री शैवाल और अन्य संसाधनों जैसे कि रीफ मछलियों का संग्रह।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
34.	लाइट पोस्ट निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
35.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
40.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

41.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	पारंपरिक मत्स्य पालन प्रथाओं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
45.	जहाजों की आवाजाही।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 (1) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए प्रथम मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	**मानीटरी समिति का गठन**	**पद**
1.	जिला कलेक्टर, रामानाथापुरम	-अध्यक्ष, पदेन;
2.	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
3.	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक जैवविविधता विशेषज्ञ	–सदस्य;
4.	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाल एक पारिस्थितिकी और पर्यावरण विशेषज्ञ	–सदस्य;
5.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
7.	वन्यजीव वार्डन, गल्फ ऑफ मन्नार मरिन राष्ट्रीय उद्यान, रामानाथापुरम की खाड़ी	–सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/19/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

गल्फ ऑफ मन्नार मरिन राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन विशिष्ट द्वीप समूह का वर्णन निम्न रुप से है;

तूतीकोरिन समूह:

उत्तर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा कीलावाईप्पर ग्राम के एचटीएल उत्तर पर बिंदु राष्ट्रीय उद्यान सीमा की उत्तरी सीमा से लगभग 2.90 किलोमीटर की दूरी से आरंभ होता है।
उत्तर पूर्व	राष्ट्रीय उद्यान की सीमा की उत्तरी सीमा (कराईचल्ली द्वीप के उत्तर पूर्व) से 2.0 किलोमीटर दूरी पर है।
पूर्व	सीमा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से दक्षिण पूर्वी दिशा में 2.0 किलोमीटर की दूरी पर जाती है। इसके बाद विलनगुचल्ली द्वीप के पूर्व के निकट राष्ट्रीय उद्यान की पूर्वी सीमा से 2.0 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिमी दिशा में जाती है।
दक्षिण पूर्व	राष्ट्रीय उद्यान सीमा के दक्षिण पूर्वी टिप से 2.0 किलोमीटर की दूरी है जो कि वान द्वीप के दक्षिण पूर्व है।
दक्षिण	वान द्वीप के दक्षिण से 2.0 किलोमीटर दूरी है।

दक्षिण पश्चिम	ओल्ड हारबॉर, तूतीकोरीन के निकट एचटीएल पर बिंदु के वान द्वीप के दक्षिण पश्चिम राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के दक्षिण पश्चिमी टिप से दक्षिण पूर्वी दिशा में 4.16 किलोमीटर की दूरी में जाती है।
पश्चिम	सीमा ओल्ड हारबॉर के निकट बिंदु से एचटीएल के साथ उत्तर की ओर जाती है यह कीलावाईप्पर ग्राम के उत्तर एचटीएल पर बिंदु को छूती है।
उत्तर पश्चिम	सीमा एचटीएल के साथ जाती है यह कीलावाईप्पर ग्राम के उत्तर एचटीएल बिंदु को छूती है।

वेमबर द्वीप समूह:

उत्तर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा मूकैयूर के निकट उप्पु तन्नी द्वीप के निकट के उत्तर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा की उत्तरी सीमा से लगभग 3.10 किलोमीटर की दूरी में आरंभ होती है। इसके बाद सीमा उच्च ज्वार रेखा के साथ पूर्व की ओर जाती है।
उत्तर पूर्व	उच्च ज्वार रेखा के बिंदु से नल्लातन्नी द्वीप के उत्तर राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी सीमा से लगभग 2.0 किलोमीटर की दूरी में परियाकुलम ग्राम के समुद्री तट के पूर्व में जाती है।
पूर्व	इसके बाद सीमा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से दक्षिण पूर्वी दिशा में 2.0 किलोमीटर की दूरी में जाती है।
दक्षिण पूर्व	राष्ट्रीय उद्यान सीमा के दक्षिण पूर्वी टिप से 2.0 किलोमीटर दूरी है जो कि नल्लातन्नी द्वीप के दक्षिण पूर्व है।
दक्षिण	नल्लातान्नी के दक्षिण राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा के दक्षिण की दूरी 2.0 किलोमीटर है। इसके बाद सीमा पश्चिम की ओर 2.0 किलोमीटर की दूरी में जाती है।
दक्षिण पश्चिम	उप्पुतन्नी द्वीप के दक्षिण पश्चिम राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के दक्षिण पश्चिमी टिप से दक्षिण पूर्वी दिशा में 2.0 किलोमीटर की दूरी में जाती है।
पश्चिम	सीमा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 2.0 किलोमीटर की दूरी के साथ उत्तर की ओर जाती है यह एचटीएल पर बिंदु को छूती है।
उत्तर पश्चिम	सीमा उप्पुतन्नी द्वीप के उत्तर पश्चिम, राष्ट्रीय उद्यान की उत्तर पश्चिमी सीमा से 4.0 किलोमीटर की दूरी में नरिपैयूर ग्राम के पूर्व एचटीएल पर बिंदु से आरंभ होती है।

कीलाकराई और मंडपम द्वीप समूह:

उत्तर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा चिन्ना इरवडी ग्राम के दक्षिण एचटीएल पर बिंदु पर अनैपर द्वीप पर उत्तर राष्ट्रीय उद्यान सीमा की उत्तरी सीमा से लगभग 2.50 किलोमीटर की दूरी से आरंभ होती है। इसके बाद सीमा उच्च ज्वार रेखा के साथ पूर्व की ओर जाती है यह रामेश्वरम में कुण्डुगल ग्राम के पूर्व बिंदु को छूती है।
उत्तर पूर्व	राष्ट्रीय उद्यान सीमा के सिंगल द्वीप के उत्तर पूर्व पर उत्तरी पूर्वी सीमा से 2.0 किलोमीटर की दूरी में जाती है।
पूर्व	सीमा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से दक्षिण दिशा की ओर 2.0 किलोमीटर की दूरी में जाती है।

दक्षिण पूर्व	राष्ट्रीय उद्यान सीमा के दक्षिण पूर्वी टिप से 2.0 किलोमीटर की दूरी में जाती है जो कि सिंगल द्वीप के दक्षिण पूर्व है।
दक्षिण	मंडपम और कीलाकराई समूह के द्वीप के राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के दक्षिण से 2.0 किलोमीटर की दूरी है।
दक्षिण पश्चिम	अनैपर द्वीप के दक्षिणपश्चिम, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के दक्षिण पश्चिमी टिप से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में 2.0 किलोमीटर की दूरी में जाती है।
पश्चिम	सीमा अनैपर द्वीप के पश्चिम पर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 2.0 किलोमीटर की दूरी में उत्तर की ओर जाती है यह वलिनोक्कम ग्राम के निकट उच्च ज्वार रेखा के बिंदु को छूती है।
उत्तर पश्चिम	सीमा वलिनोक्कम ग्राम के दक्षिण अनैपर द्वीप के उत्तर पश्चिम एचटीएल पर उत्तर पश्चिमी बिंदु के बिंदु से आरंभ होती है। इसके बाद सीमा एचटीएल के साथ पूर्व की ओर जाती है।

उपाबंध- IIक

गल्फ ऑफ मन्नार मरिन राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

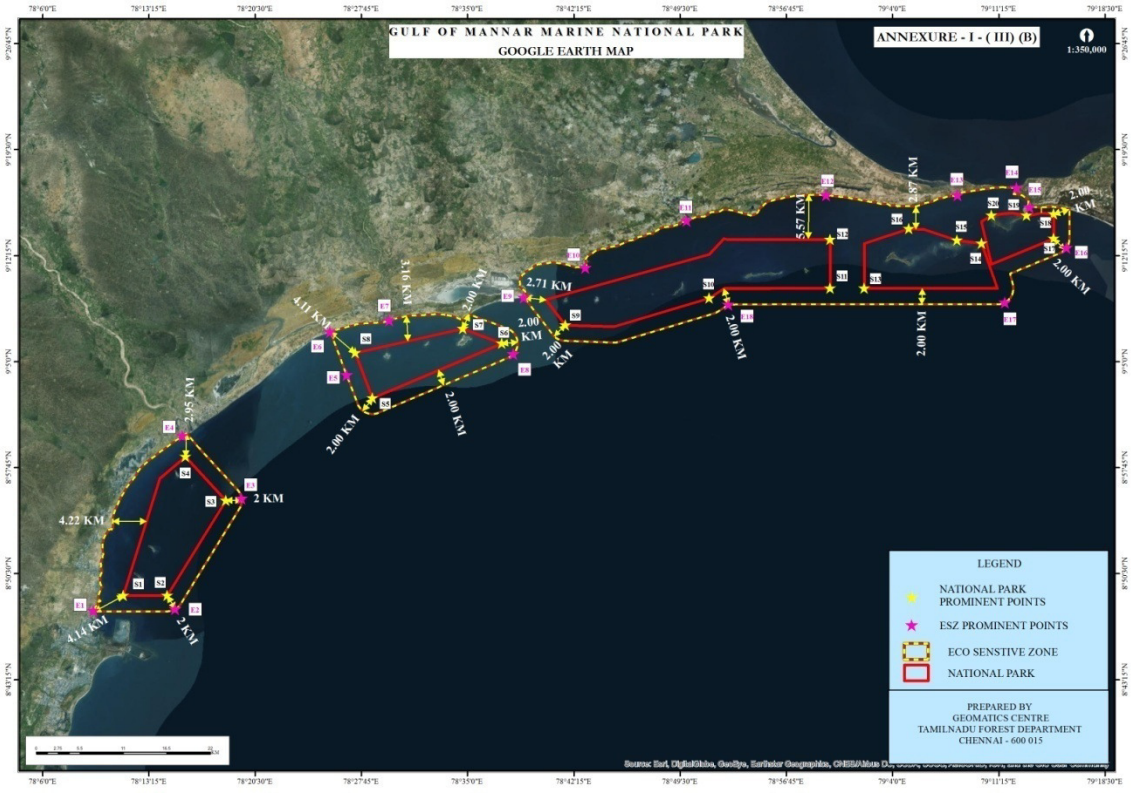

उपाबंध-IIख

गल्फ ऑफ मन्नार मरिन राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

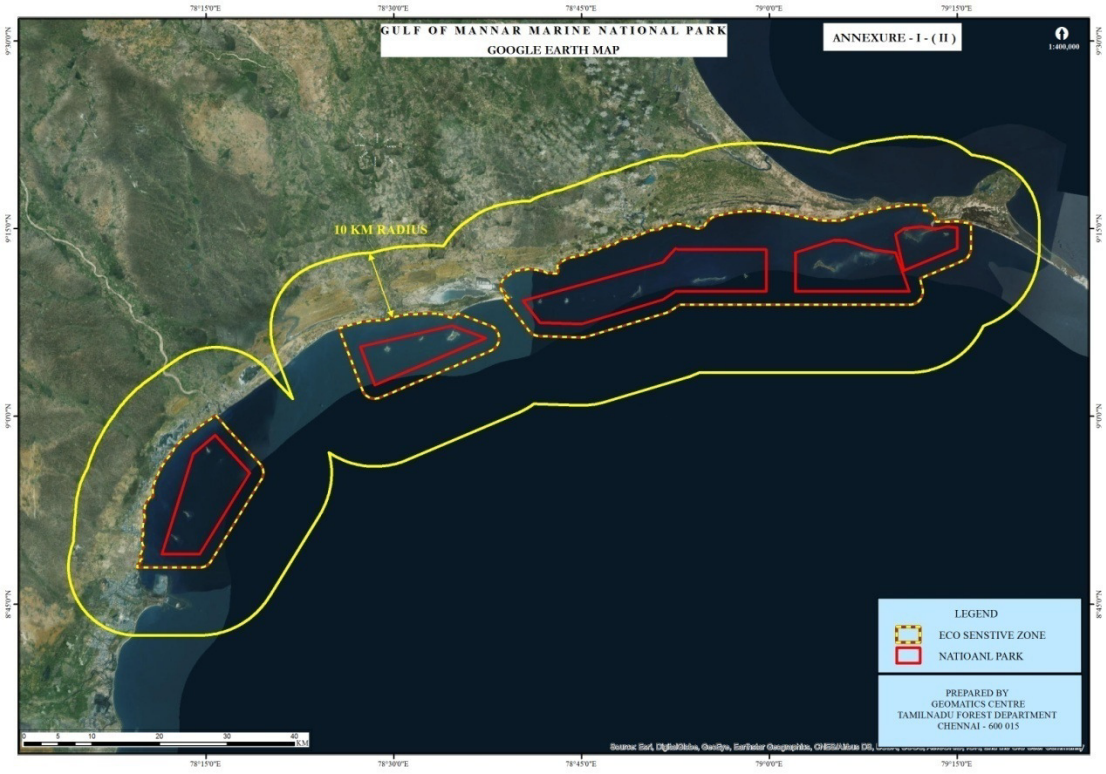

उपाबंध-IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर गल्फ ऑफ मन्नार मरिन राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र

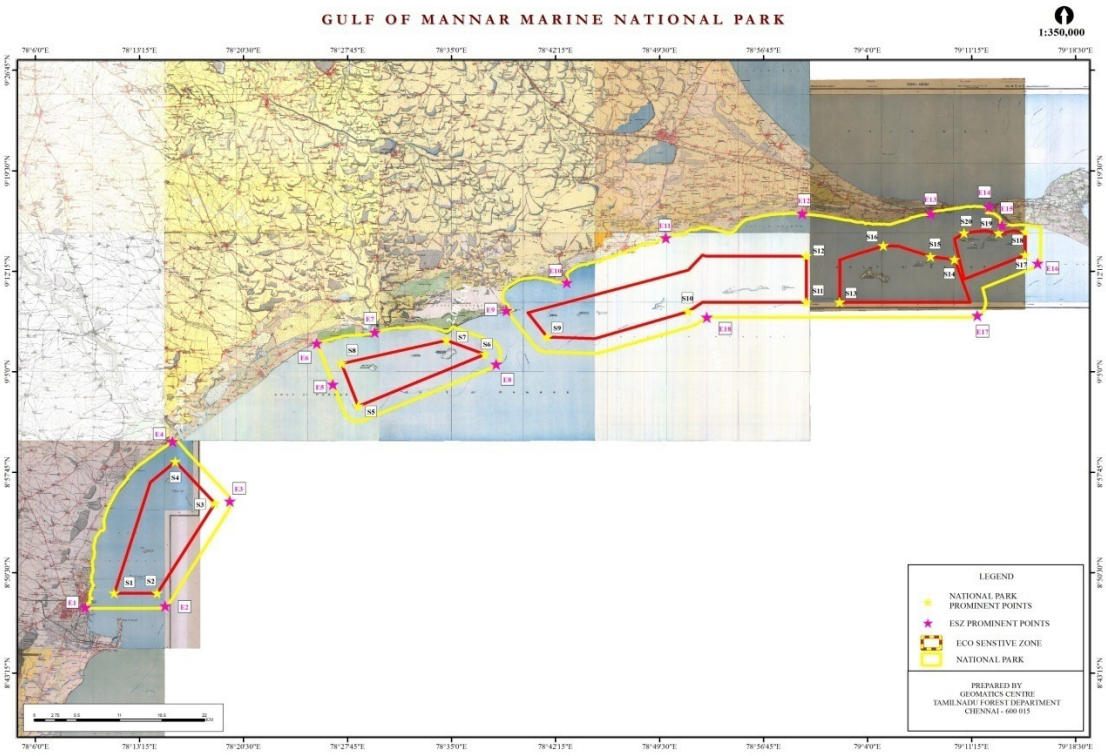

उपाबंध-IIघ

10 किलोमीटर बफर क्षेत्र के साथ गल्फ ऑफ मन्नार मरिन राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भू-उपयोग मानचित्र

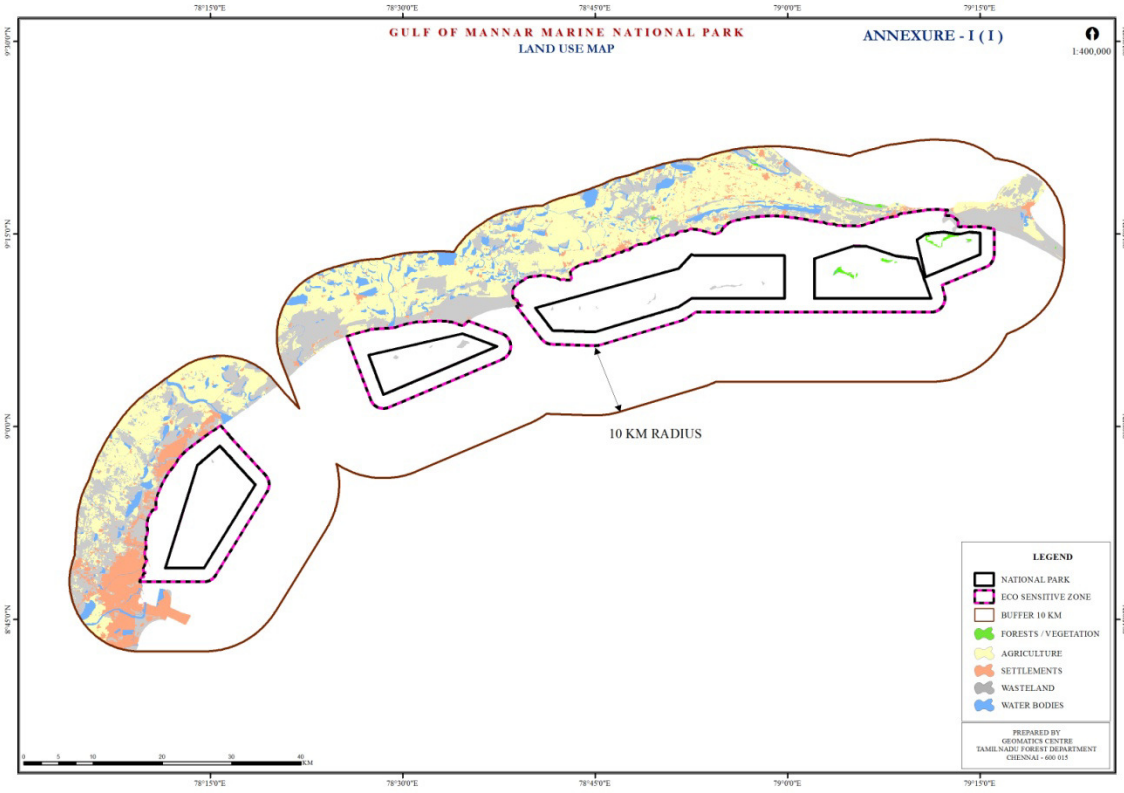

उपाबंध-IIड.

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ गल्फ ऑफ मन्नार मरिन राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

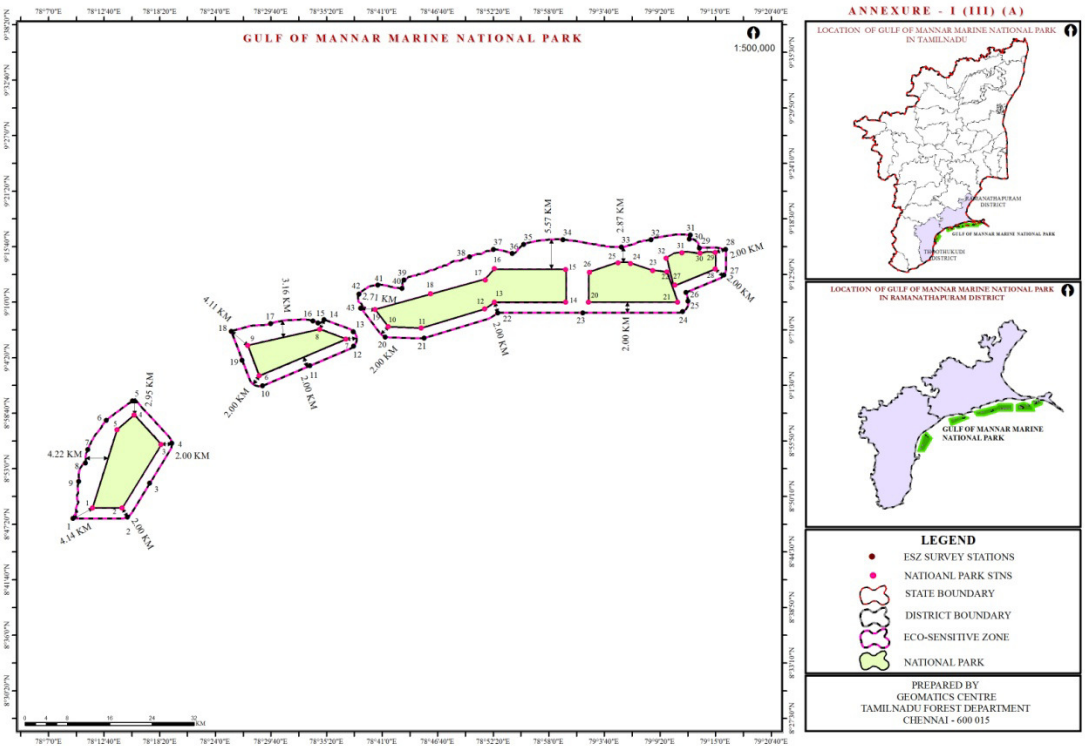

उपाबंध-III

सारणी क: गल्फ ऑफ मन्नार मरिन राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु की अवस्थिति/ दिशा	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1.	36	शिंगल (उत्तर)	9°14'35"	79°10'5"
2.	31	कुरुसदाई (उत्तर)	9°15'00"	79°13'25"
3.	32 (एस19)	उत्तर के कुरुसदाई द्वीप (उत्तर)	9°15'00"	79°13'10"
4.	33	कुरुसदाई (उत्तर)	9°15'10"	79°12'10"
5.	34	कुरुसदाई (उत्तर)	9°15'7"	79°11'35"
6.	35 (एस 20)	उत्तर के पुमेरिकान द्वीप (उत्तर)	9°15'00"	79°10'45"
7.	29 (एस 18)	पूर्वोत्तर के शिंगल द्वीप (उत्तर)	9°15'5"	79°15'00"
8.	30	पुल्लीवसल (उत्तर)	9°15'10"	79°14'10"
9.	27	पुमेरिकान (दक्षिण पश्चिम)	9°11'40"	79°10'45"

10.	28 (एस 17)	दक्षिणपूर्व के शिंगल द्वीप (दक्षिण पूर्व)	9°13'25"	79°15'00"
11.	24	मनोलीपुट्टी (उत्तर)	9°14'3"	79°6'10"
12.	25 (एस 16)	उत्तर के मुयाल द्वीप (उत्तर)	9°14'5"	79°5'7"पू
13.	26	मनोलीपुट्टी (उत्तर)	9°13'5"	79°2'5"
14.	22 (एस 14)	पूर्व के मनोली द्वीप (उत्तर)	9°13'5"	79°10'5"पू
15.	23 (एस 15)	उत्तर के मनोली द्वीप (उत्तर)	9°13'18"	79°8'25"
16.	20 (एस 13)	दक्षिणपश्चिम के मुयाल (हरे) द्वीप (दक्षिण पश्चिम)	9°10'00"	79°2'5"पू
17.	21	हरे (दक्षिण पूर्व)	9°10'00"	79°11'10"पू
18.	17	मुल्ली (उत्तर)	9°13'25"	78°52'30"पू
19.	18	मुल्ली (उत्तर)	9°12'20"	78°51'30"पू
20.	19	मुल्ली (उत्तर पश्चिम)	9°9'15"	78°40'20"पू
21.	16	वालाई (उत्तर)	9°13'20"उ	78°52'45"पू
22.	15 (एस 12)	पूर्वोत्तर के मुल्ली द्वीप (उत्तर पूर्व)	9°13'20"उ	78°59'45"पू
23.	13	पूवरासानपट्टी (दक्षिण)	9°10'00"उ	78°52'30"पू
24.	14 (एस 11)	दक्षिणपूर्व के मुल्ली द्वीप (दक्षिण पूर्व)	9°10'00"उ	78°59'45"पू
25.	12 (एस 10)	दक्षिणपूर्व के अप्पा द्वीप (दक्षिण)	9°9'20"उ	78°51'30"पू
26.	11	वलीमुनाई (दक्षिण पश्चिम)	9°7'23"उ	78°45'00"पू
27.	10 (एस 9)	दक्षिण के अनैपार द्वीप (पश्चिम)	9°7'30"उ	78°41'40"पू
28.	8 (एस 7)	उत्तर के नल्लातन्नी द्वीप (उत्तर पूर्व)	9°7'15"उ	78°34'40"पू
29.	9 (एस 8)	उत्तर पश्चिम के उप्पुतन्नी द्वीप (उत्तर पश्चिम)	9°5'35"उ	78°27'20"पू
30.	7 (एस 6)	दक्षिणपूर्व के नल्लातन्नी द्वीप (दक्षिण पूर्व)	9°6'15"उ	78°37'20"पू
31.	6 (एस 5)	दक्षिण पश्चिम के उप्पुतन्नी द्वीप (दक्षिण पश्चिम)	9°2'30"उ	78°28'30"पू
32.	4 (एस 4)	उत्तर के कराईचल्ली द्वीप (उत्तर)	8°58'30उ	78°15'45"पू
33.	5	विलनगुचल्ली (पश्चिम)	8°57'उ	78°14'पू
34.	3 (एस 3)	पूर्व के कराईचल्ली द्वीप (पूर्व)	8°55'30"उ	78°18'30"पू
35.	2 (एस 2)	दक्षिणपूर्व के वान द्वीप (दक्षिणपूर्व)	8°49'उ	78°14'30"पू
36.	1 (एस 1)	दक्षिण के वान द्वीप (दक्षिण पश्चिम)	8°49'उ	78°11'30"पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु की अवस्थिति/ दिशा	अक्षांश (उ) डीएमएस प्रारुप	देशांतर (पू) डीएमएस प्रारुप
1	1 (ई 1)	उ प वान्निगुडी कनमोई की उत्तर पश्चिमी टिप	78°46'39.0216"	9°20'44.0628"
2	2	उ	78°47'48.6096"	9°21'1.0476"
3	3	उ	78°48'58.77"	9°21'17.802"
4	4 (ई 2)	उ वन्नन ओरनी की दक्षिणी टिप	78°49'44.4468"	9°21'28.6848"
5	5	उ	78°50'0.7584"	9°21'22.878"
6	6	उ	78°50'18.9744"	9°21'16.506"
7	7 (ई 3)	उ पू रामनाद-कीलाकराई सड़क पर सक्करकोट्टई कनमोई का उत्तर	78°50'37.6044"	9°21'10.098"
8	8	पू	78°50'35.4192"	9°20'46.8816"
9	9	पू	78°50'31.4052"	9°20'28.3344"
10	10 (ई 4)	पू रामनाद - कीलाकराई सड़क के साथ सक्करकोट्टई टैंक की दक्षिण पूर्वी सीमा	78°50'23.0568"	9°20'7.1556"
11	11	पू	78°50'14.6832"	9°20'4.4772"
12	12	पू	78°50'7.0764"	9°19'54.0984"
13	13	द पू	78°49'58.9872"	9°19'31.53"
14	14 (ई 5)	द पू रामनाद - कीलाकराई सड़क पर पालकराई दृष्टिकोण सड़क का चौराहा बिंदु	78°49'53.454"	9°19'14.7072"

15	15	द	78°49'23.4444"	9°19'17.6484"
16	16	द	78°48'45.4968"	9°19'22.4328"
17	17 (ई 6)	द पालकराई ग्राम सड़क	78°48'20.2176"	9°19'20.658"
18	18	द	78°47'43.9584"	9°19'32.2464"
19	19 (ई 7)	द प विट्टानूर उत्तर कनमोई बांध	78°47'19.5684"	9°19'41.8512"
20	20	द प	78°46'48.396"	9°19'55.6104"
21	21 (ई 8)	प वान्निगुडी कनमोई पश्चिमी बांध	78°46'24.564"	9°20'6.5616"
22	22	प	78°46'20.1072"	9°20'12.6348"

उपाबंध-IV

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2020

S.O. 08(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3688(E), dated the 27th July, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 27th July, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Gulf of Mannar Marine National Park lies Latitude $8^0$49'00"N and $9^0$15'00"N and Longitude $78^0$11'30"E and $79^0$10'5"E in the Ramanathapuram and Tuticorin District of Tamil Nadu and extends over an area of 560.00 square kilometres. The Government of Tamil Nadu *vide* G.O. Ms. No. 962, Forests and Fisheries Department dated the 10th September, 1986 notified the intention to declare the Marine National Park in Gulf of Mannar area in Tamil Nadu for the purpose of protecting Wildlife there in and its environments, including 3.5 fathom depth of sea on the Bay side and 5 fathom depth on the seaward side under the sub-section (1) of section 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

AND WHEREAS, the 21 islands which are fringed by coral reefs and bear mangroves vegetation are in the Gulf of Mannar Marine National Park, off the coasts of Ramnad and Tuticorin district to the south east;

AND WHEREAS, the Gulf of Mannar is one of the four major reef ecosystems in India. The Government of Tamil Nadu has established the Gulf of Mannar Marine National Park (GOMMNP) under the provision of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), encompassing the 21 off-shore islands (including 2 submerged) and surrounding coral reef system in the Bay of Bengal, along the coastal districts of Ramanathapuram and Tuticorin in the year 1986. The primary objective of the establishment of the GOMMNP is to conserve the rich marine biodiversity of the Gulf of Mannar region by providing protection and through management;

AND WHEREAS, the Gulf of Mannar is endowed with a rich variety of marine flora and fauna as it includes ecosystems like coral reefs, rocky shores, sandy beaches, mud flats, estuaries, mangrove forests, seaweed stretches and sea grass beds. These ecosystems support a wide variety of fauna and flora including rare chanks, shrimps, lobsters, pearl oysters, whales, dugongs, turtles, seahorses, sea snakes, sea cucumbers, etc. The diverse nature of ecosystems in the Gulf of Mannar supports a wide variety of significant species including 117 species of corals, 13 species of sea grasses, 641 species of crustaceans, 731 species of molluscs, 441 species of fin fishes and 147 species of seaweeds apart from the seasonally migrating marine mammals like whales, dolphins, porpoises and turtles;

AND WHEREAS, the mangrove habitats have 9 different species of vegetation supporting a variety of marine fauna including seabirds and sea snakes. The sacred chank, *a Turbinella pyrum,* Chank and pearl oyster bed also occurs in the Gulf of Mannar. There are about ten pearl banks. The most preferred species of pearl oyster is *Pinctada fucata*. The Gulf of Mannar was considered as "Biologists' paradise" with over 4200 species of flora and fauna;

AND WHEREAS, the area is the last refuge of the most endangered mammal, Dugong (*Dugong dugon*) occurs at the Indian coast. The area also contains the rare and unique Balanoglossus which is a link between invertebrates and vertebrates. The area is also very richly endowed with unique coral formations, marine shells, molluscs and tropical fish associated with coral islands. The playful Dolphins are also seen in this area;

AND WHEREAS, the National Park is basically for the conservation of marine flora and fauna. Examples of flora are rosary pea *(Abrus precatorius),* wattles *(Acacia norrida),* umbrella thorn *(Acacia planifrons),* nettle *(Acalypha indica),* prickly chaff flower *(Achyranthes aspera),* etc.; examples of fauna are sea cow *(Dugong dugon),* rissos dolphin *(Grampus griseus),* bottle nosed dolphin *(Tursiops truncates),* chinese white dolphin *(Sausa chinensis),* etc. The National Park has a variety of birds e.g. great egret *(Ardea alba),* grey heron *(Ardea cinerea),*

pond heron *(Ardea grayii),* western reef heron *(Egretta gularis), Ardeola striatus,* greater flamingo *(Phoneicopterns rosens),* northern pintail *(Anas acuta),* etc.;

AND WHEREAS, the National park has endemic, rare, endangered and threatened species. The endemic species in Gulf of Mannar includes namely, *Balanoglossus, Enhalus acaroides and Pempis acidula.* The endangered species present in the Sanctuary are sea cucumbers *(Holothurians),* green turtle *(Chelonia mydas),* hawksbill turtle *(Eretmochelys imbricate),* olive ridley turtle *(Lepidochelys olivacea),* loggerhead turtle *(Caretta caretta),* leather back turtle *(Dermochelys coriacea),* sea horses *(Sygnathidae),* etc. Examples of rare species are short finned pilot whale *(Globicephala macrorhyncha),* rissos dolphin *(Grampus griseus),* bottle nosed dolphin *(Tursiops truncates),* Chinese white dolphin *(Sausa chinensis),* false killer whale *(Pseudoarca crassidens),* Bryde's whale *(Baleonoptera edeni),* etc. sea cow *(Dugong dugon)* is threatened species recorded in the Sanctuary;

AND WHEREAS, there is no habitation within the Marine National Park and Eco-sensitive Zone. There are about 47 fishing villages along the Gulf of Mannar Marine National Park coast, of which 38 are in Ramanathapuram District and 9 villages are in Tuticorin District. The fishermen from these villages depend solely on fishing for their livelihood. There are altogethers about over 150,000 fisher-folk living in these villages of which more than 40% are active fishermen. Exploitation of fishery resources in the inshore waters had been the sole occupation for several thousand families living along the coast of Gulf of Mannar for centuries. They have been in such close intimacy with the coastal and marine environment that their life-style, culture and social life all centres around the sea;

AND WHEREAS, the fisherwomen are engaged in allied activities such as fresh fish marketing, dry fish and net mending. In addition to fisheries-related occupations along the coast, there are opportunities for employment in salt extraction, particularly in the western side of the Gulf near Tuticorin, and also in Palmyrah (toddy) tapping and agricultural labour. Skilled work is also undertaken, with mat weaving common in Ramanathapuram district. Moving inland from the coast toddy tapping and agriculture are the predominant occupations with small business-related opportunities prevalent near Rameswaram in connection with the tourism in this area;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Gulf of Mannar Marine National Park which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from 0.73 kilometre to 5.57 kilometre around the boundary of Gulf of Mannar Marine National Park in the State of Tamil Nadu as the Gulf of Mannar Marine National Park Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 0.73 kilometer to 5.57 kilometer around the Gulf of Mannar Marine National Park. The area of the Eco-sensitive Zone is 720.89 square kilometers.

(2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended at **Annexure-I.**

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure IIA-E.**

(4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-sensitive Zone is appended as Table **A** and Table **B** of **Annexure-III**.

(5) There is no village falling within the Eco-sensitive Zone.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. - (1) The State Government shall, for the purposes of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development ;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department;

(xii) Highways; and

(xiii) Tamil Nadu State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. –(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of

Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents, such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3)Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.-**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-**Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-**The Environment Department of the State Government or Tamil Nadu State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-**Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents. -** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.-**Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-Medical Waste.-**Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification Number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March,2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management**.-The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management**.-The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste

Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**. - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular Pollution. -** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be compliance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes.-**The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the Wildlife(Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units	(a) All new and existing mining (minor and major minerals) stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vz. UOI in W.P. (C) No. 202 of 1995 and

		dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P. (C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or up to the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub -paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per

		applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.

20.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Desalination Plants.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Port activities (Cargo handling/ maintenance dredging/expansion).	Regulated as per the applicable laws.
29.	Fishing harbour.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Aquaculture (Prawn culture).	Regulated as per the applicable laws.
31.	Salt Pans.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Research establishments.	Regulated as per the applicable laws.
33.	Collection of seaweeds and other resources like reef fishes.	Regulated as per the applicable laws.
34.	Light Post Erection.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
35.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
36.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
37.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
38.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
39.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. to be actively promoted.

40.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
41.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
42.	Restoration of Degraded Land/Forests/Habitats.	Shall be actively promoted.
43.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
44.	Traditional Fishing Practices.	Shall be actively promoted.
45.	Movement of Vessels.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

SI. No.	**Constituent of the Monitoring Committee**	**Designation**
1.	The District Collector, Ramanathapuram	Chairman, ex officio
2.	A representative of non-government organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
3.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
4.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
5.	A representative from State Public Works Department	Member;
6.	A representative from State Pollution Control Board	Member;
7.	Wildlife Warden, Gulf of Mannar Marine National Park, Ramanathapuram	Member-Secretary.

6. Terms of Reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per Performa given in **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/19/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

Boundary description for Eco-sensitive zone of Gulf of Mannar Marine National Park is as described for individual Island Groups as below;

Tuticorin Group:

North	The boundary of the Eco-sensitive Zone starts at a distance of around 2.90 kilometre from the northern boundary National Park boundary on a point on HTL north of Keelavaippar Village.
North East	At a distance of 2.0 kilometre. from the northern boundary (north east of Karaichalli Island) National Park boundary
East	The boundary runs at distance of 2.0 kilometres in south eastern direction from the boundary of National Park. Then proceeds in south western direction at a distance of 2.0 kilometre. from the eastern boundary of the National Park near east of Vilanguchalli Island.
South East	At a distance of 2.0 kilometre. from the South eastern tip of the National Park boundary which is south east of Vaan Island.
South	At a distance of 2.0 kilometres south of Vaan Island.
South West	At a distance of 4.16 in south eastern direction from the south western tip of the boundary of National Park Southwest of Vaan Island on a point on HTL near the Old Harbour, Tuticorin
West	The boundary proceeds north wards along the HTL from the point near Old Harbour till it touches the point on HTL north of Keelavaippar village.
North West	The boundary travels along the HTL till it touches the point on HTL north of Keelavaippar village.

Vembar Island Group:

North	The boundary of the Eco-sensitive Zone starts at a distance of around 3.10 Kilometre from the northern boundary National Park boundary north of Uppu tanni Island near Mookaiyur. Thence the boundary proceeds eastwards along the High Tide Line.
North East	At a point on High Tide Line east of Periakulam village sea shore at a distance of around 2.0 Kilometre from the northern boundary of the National Park north of Nallatanni Island.
East	Thence the boundary runs at distance of 2.0 Kilometre in south eastern direction from the boundary of National Park.
South East	At a distance of 2.0 kilometre. from the South eastern tip of the National Park boundary which is south east of Nallatanni Island.
South	At a distance of 2.0 kilometre south of southern boundary of the National Park south of Nallatanni. Thence the boundary proceeds at distance of 2.0 Kilometre westwards.
South West	At a distance of 2.0 Kilometre in south eastern direction from the south western tip of the boundary of National Park Southwest of Upputanni Island.
West	The boundary proceeds north wards along at a distance of 2.0 Kilometre. from the boundary of the National Park till it touches a point on HTL.
North West	The boundary starts at a point on HTL east of Naripaiyyur village at a distance of 4.0 Kilometre. from the north western boundary of the National Park, north west of Upputanni Island.

Keelakarai and Mandapam Island Groups:

North	The boundary of the Eco-sensitive Zone starts at a distance of around 2.50 Kilometre from the northern boundary National Park boundary north of Anaipar Island on a point on HTL south of Chinna Erwadi Village. Thence the boundary proceeds eastwards along the High Tide Line till it touches a point east of Kundugal village in Rameshwaram.
North East	At a distance of 2.0 kilometre. from the northern eastern boundary on the north east of Shingle Island of National Park boundary.
East	The boundary runs at distance of 2.0 kilometre in southward direction from the boundary of National Park.
South East	At a distance of 2.0 Kilometre. from the South eastern tip of the National Park boundary which is south east of Shingle Island.
South	At a distance of 2.0 Kilometre south of boundary of the National Park of Mandapam and Keelakarai Group of Island.
South West	At a distance of 2.0 Kilometre in south western direction from the south western tip of the boundary of National Park, Southwest of Anaipar Island.
West	The boundary proceeds north wards at a distance of 2.0 Kilometre from the boundary of National Park on the west of Anaipar island till it touches a point on High Tide Line near Valinokkam village.
North West	The boundary starts at a point on the Northwestern point on the HTL northwest of Anaipar Island south of Valinokkam village. Thence the boundary proceeds eastwards along the HTL.

ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF GULF OF MANNAR MARINE NATIONAL PARK

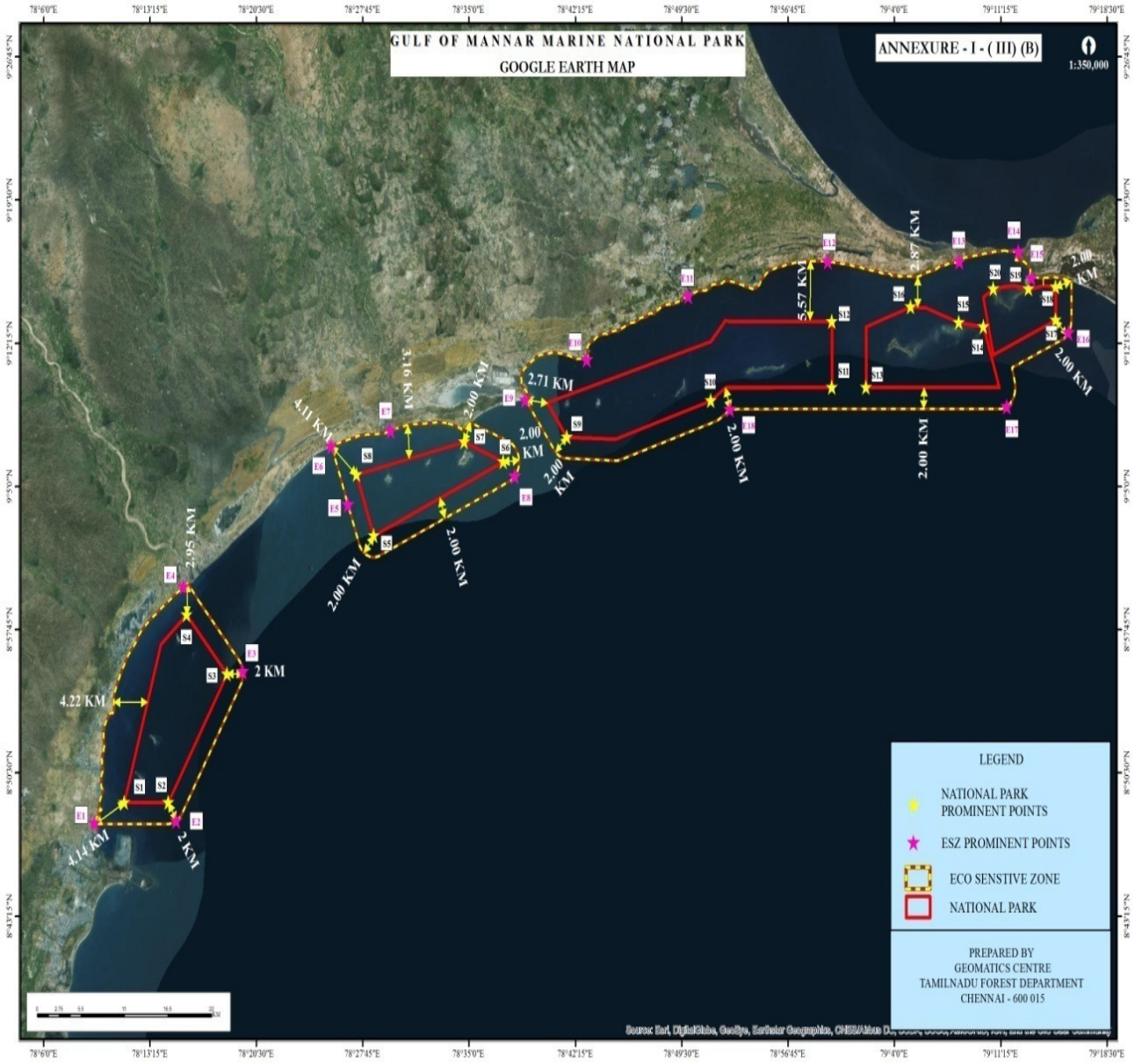

ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF GULF OF MANNAR MARINE NATIONAL PARK

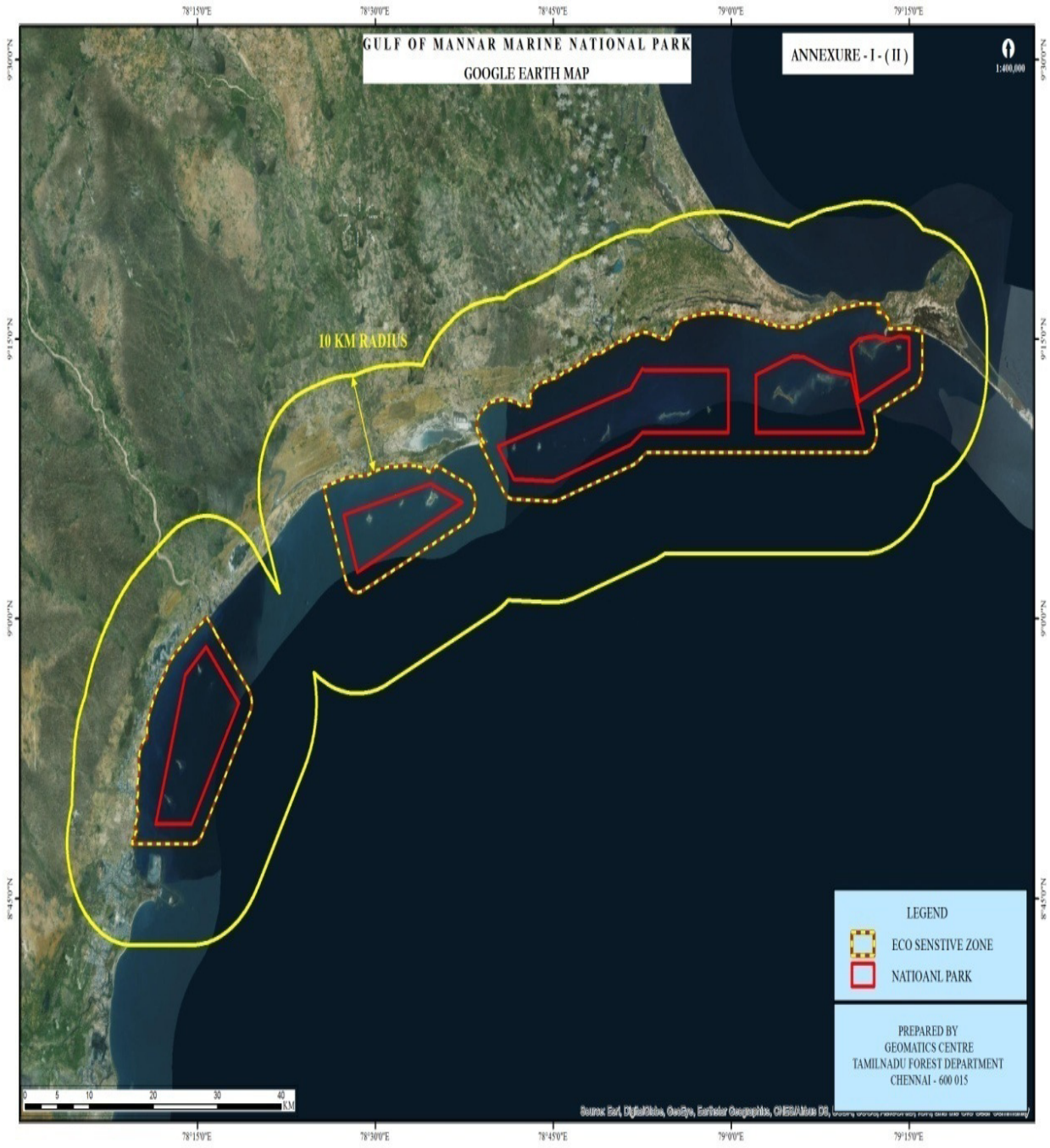

ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF GULF OF MANNAR MARINE NATIONAL PARK ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

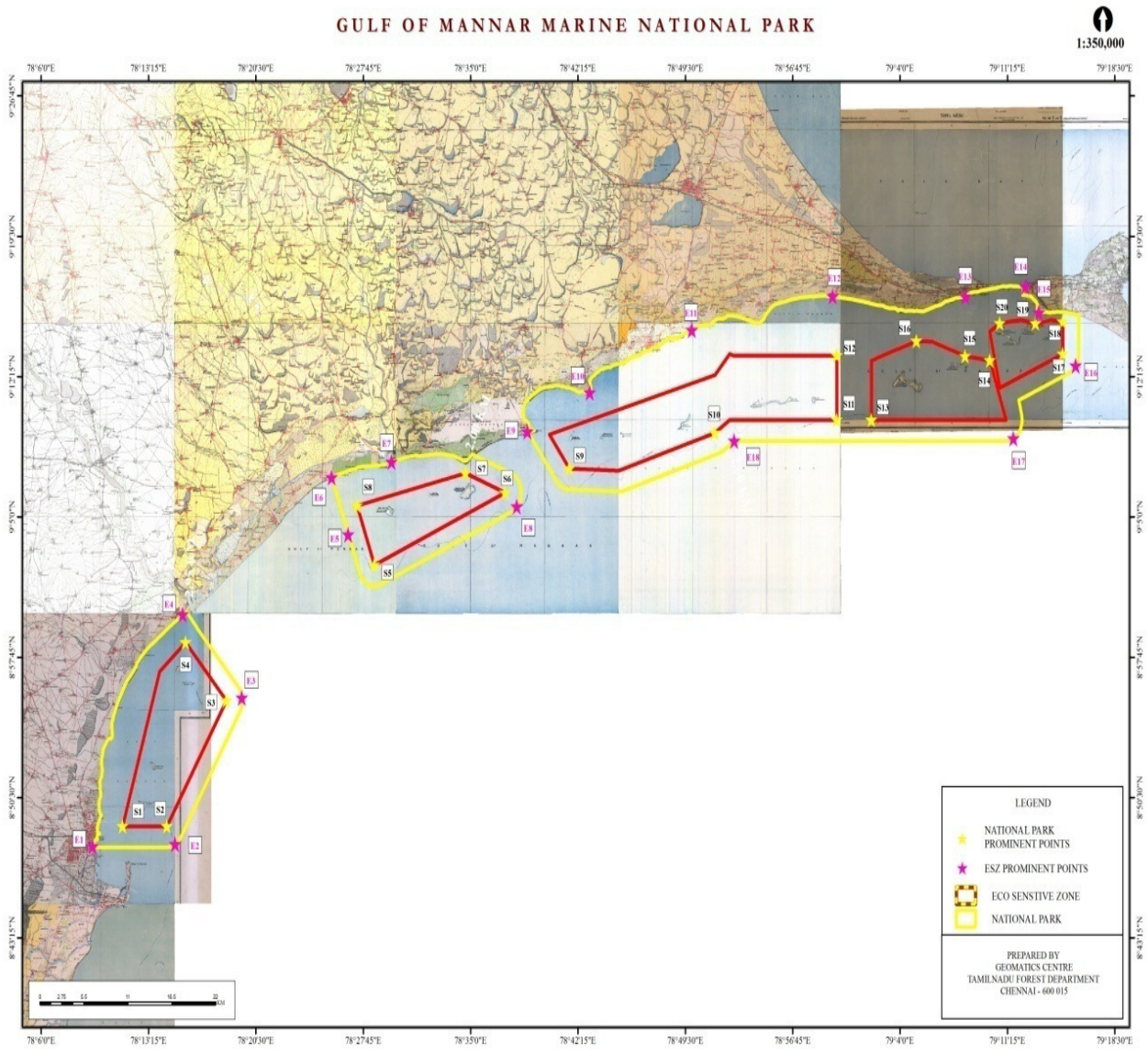

ANNEXURE- IID

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF GULF OF MANNAR MARINE NATIONAL PARK ALONG WITH 10 KILOMETER BUFFER

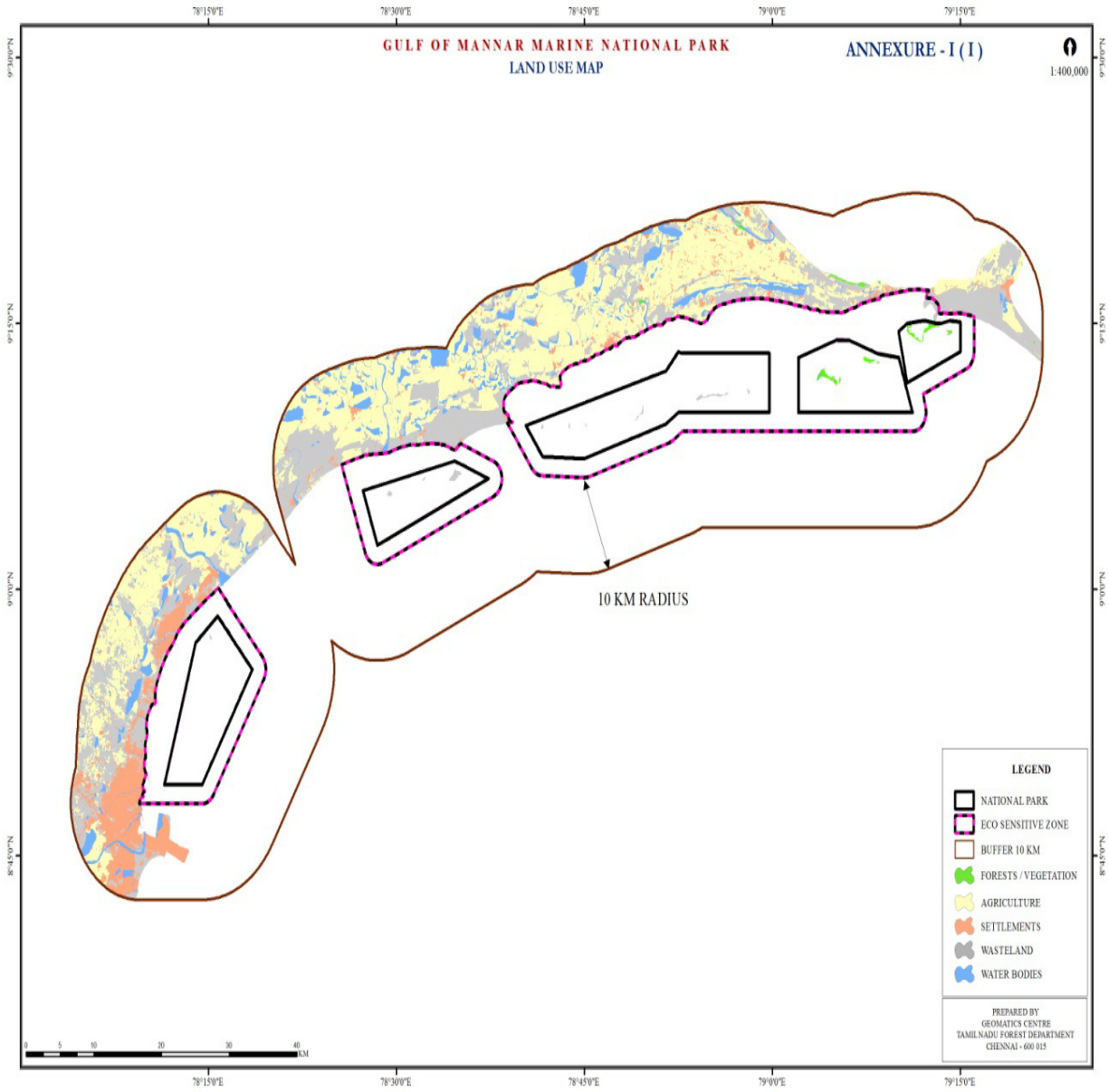

ANNEXURE-IIE

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF GULF OF MANNAR MARINE NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

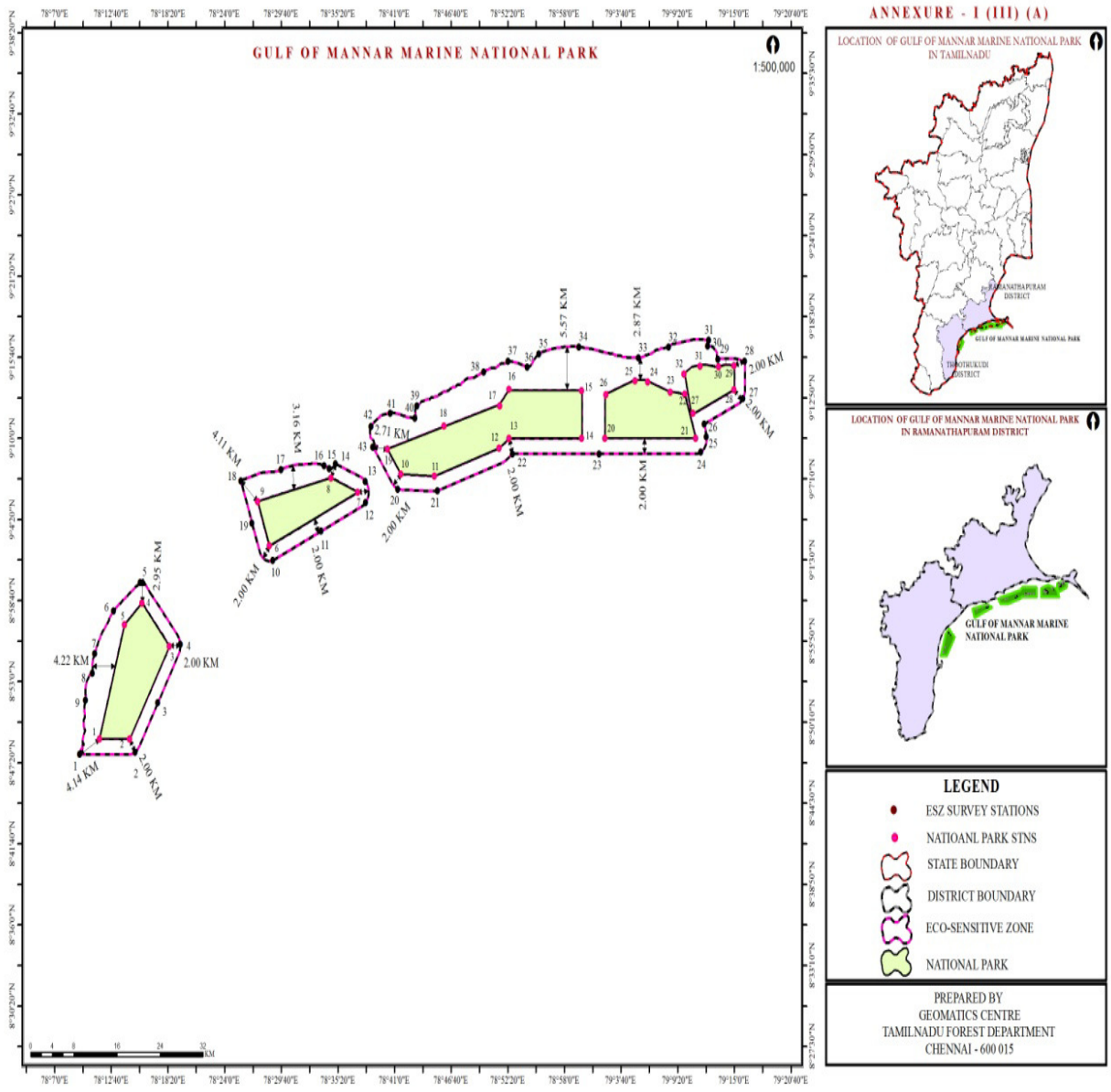

ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Gulf of Mannar Marine National Park, Tamil Nadu

S. No.	Identification of prominent points	Location / Direction of Prominent Point	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1.	36	Shingle (North)	9°14’35”	79°10’5”
2.	31	Kurusadai (North)	9°15’00”	79°13’25”
3.	32 (S19)	North of Krusudai Island (North)	9°15’00”	79°13’10”
4.	33	Kurusadai (North)	9°15’10”	79°12’10”
5.	34	Kurusadai (North)	9°15’7”	79°11’35”
6.	35 (S20)	North of Poomarichan Island (North)	9°15’00”	79°10’45”
7.	29 (S18)	Northeast of Shingle Island (North)	9°15’5”	79°15’00”
8.	30	Pullivasal (North)	9°15’10”	79°14’10”
9.	27	Poomarichan (South West)	9°11’40”	79°10’45”
10.	28 (S17)	Southeast of Shingle Island (South East)	9°13’25”	79°15’00”
11.	24	Manoliputti (North)	9°14’3”	79°6’10”
12.	25 (S16)	North of Muyal Island (North)	9°14’5”	79°5’7”E
13.	26	Manoliputti (North)	9°13’5”	79°2’5”
14.	22 (S14)	East of Manoli Island (North)	9°13’5”	79°10’5”E
15.	23 (S15)	North of Manoli Island (North)	9°13’18”	79°8’25”
16.	20 (S13)	Southwest of Muyal (Hare) Island (South West)	9°10’00”	79°2’5”E
17.	21	Hare (South East)	9°10’00”	79°11’10”E
18.	17	Mulli (North)	9°13’25”	78°52’30”E
19.	18	Mulli (North)	9°12’20”	78°51’30”E
20.	19	Mulli (North West)	9°9’15”	78°40’20”E
21.	16	Vaalai (North)	9°13’20”N	78°52’45”E
22.	15 (S12)	Northeast of Mulli Island (North East)	9°13’20”N	78°59’45”E
23.	13	Poovarasanpatti (South)	9°10’00”N	78°52’30”E
24.	14 (S11)	Southeast of Mulli Island (South East)	9°10’00”N	78°59’45”E
25.	12 (S10)	Southeast of Appa Island (South)	9°9’20”N	78°51’30”E
26.	11	Valimunai (South West)	9°7’23”N	78°45’00”E
27.	10 (S9)	South of Anaipar Island (West)	9°7’30”N	78°41’40”E
28.	8 (S7)	North of Nallatanni Island (North East)	9°7’15”N	78°34’40”E
29.	9 (S8)	Northwest of Upputanni Island (North West)	9°5’35”N	78°27’20”E

30.	7 (S6)	Southeast of Nallatanni Island (South East)	9°6’15”N	78°37’20”E
31.	6 (S5)	Southwest of Upputanni Island (South West)	9°2’30”N	78°28’30”E
32.	4 (S4)	North of Karaichalli Island (North)	8°58’30N	78°15’45”E
33.	5	Vilanguchalli (West)	8°57’N	78°14’E
34.	3 (S3)	East of Karaichalli Island (East)	8°55’30”N	78°18’30”E
35.	2 (S2)	Southeast of Vaan Island (South East)	8°49’N	78°14’30”E
36.	1 (S1)	South of Vaan Island (South West)	8°49’N	78°11’30”E

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-sensitive Zone

S. No.	Identification of prominent points	Location / Direction of Prominent Point	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1	1 (E1)	NW Northwesten tip of Vannigudi Kanmoi	78°46'39.0216"	9°20'44.0628"
2	2	N	78°47'48.6096"	9°21'1.0476"
3	3	N	78°48'58.77"	9°21'17.802"
4	4 (E2)	N Southern tip of Vannan Oorani	78°49'44.4468"	9°21'28.6848"
5	5	N	78°50'0.7584"	9°21'22.878"
6	6	N	78°50'18.9744"	9°21'16.506"
7	7 (E3)	NE North of Sakkarakottai Kanmoi on Ramnad-Keelakarai Road	78°50'37.6044"	9°21'10.098"
8	8	E	78°50'35.4192"	9°20'46.8816"
9	9	E	78°50'31.4052"	9°20'28.3344"
10	10 (E4)	E South Eastern boundary of Sakkarakottai Tank along the Ramnad - Keelakarai Road	78°50'23.0568"	9°20'7.1556"
11	11	E	78°50'14.6832"	9°20'4.4772"
12	12	E	78°50'7.0764"	9°19'54.0984"
13	13	SE	78°49'58.9872"	9°19'31.53"
14	14 (E5)	SE Intersection point of Palkarai approach road on Ramnad - Keelakarai Road	78°49'53.454"	9°19'14.7072"
15	15	S	78°49'23.4444"	9°19'17.6484"
16	16	S	78°48'45.4968"	9°19'22.4328"
17	17 (E6)	S Palkarai Village Road	78°48'20.2176"	9°19'20.658"
18	18	S	78°47'43.9584"	9°19'32.2464"

19	19 (E7)	SW Vittanoor North Kanmoi Bund	78°47'19.5684"	9°19'41.8512"
20	20	SW	78°46'48.396"	9°19'55.6104"
21	21 (E8)	W Vannigudi Kanmoi western bund	78°46'24.564"	9°20'6.5616"
22	22	W	78°46'20.1072"	9°20'12.6348"

ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report: -

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: (Mention noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.07 20:38:24 +05'30'